

कार्यालय मुख्य अभियंता एवं महा निदेशक, सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, दादाबाड़ी कोटा

क्रमांक / आईएमटीआर / लेख-1/2019-20 /

दिनांक /

M/s Sai Nath Motors  
Khandelwal Complex,  
Chawani Chourha, Kota (Raj.)  
Mob.No.7597084085

विषय: संस्थान के शैक्षणिक भ्रमण के दौरान लॉजिंग एवं बोर्डिंग व्यवस्था की दर सविदा ।  
सन्दर्भ : आप द्वारा दी गई निविदा दिनांक 14.06.2019 एवं नगोसिएशन दिनांक 24.06.2019

सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा को आप द्वारा दिनांक 14.06.2019 एवं नगोसियेशन दि. 24.06.2019 को दी गई निविदा की दरें, न्यूनतम होने के कारण निविदा स्वीकृत की जाती है, फलस्वरूप आदेशित किया जाता है कि आप उप निदेशक (प्रशिक्षण) सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा के निर्देशन में कार्य प्रारम्भ करें ।

आपकी कार्य अवधि दिनांक 5.7.2019 से 4.07.2020 तक रहेगी ।

SNo.	Item	Units	Sanctioned Rate
1.00	For Exposure visit to Rajasthan/Gujrat/Maharashtra/A.P./Odisha and other state etc,annual rate contract for providing lodging &boarding by Tour		
1.10	Lodging		
1.11	Delux Room – Non AC, TV, attached WC bath, geyser, double bed per room, for 2 persons-at district level	Per person	745.00
1.12	Delux Room –AC, TV, attached WC bath, geyser, double bed per room, for 2 persons-at district level	Per person	1360.00
1.13	Super Delux Room:AC attached WC bath, geyser, double bed per room, for 1 persons-at district level	Per person	2345.00
1.20	Boarding (Food & Beverages)		
1.21	Tea (morning) in Hotel (150ml per person)	Per person	28.00
1.22	Breakfast – Stuffed Paratha, Curd, Pickles or Poha, Jalebi, Kachori or Masala Dosa or Idli, Upma with Tea/Coffee/Milk in Hotel or Restaurant.	Per person	110.00
1.23	Tea (f/n or a/n) during training / journey (150ml per person)	Per person	20.00
1.24	Packed biscuits or snacks or cold drink	Per person	MRP
1.25	Lunch or dinner-in AC or Garden Hotel/ Restaurant (equivalent to Menal, Maheshwari, Hariyali of Kota) Menu – Soup, Paneer Veg., Dal, Seasonal Veg., Raita, Pulav, Sweet Dish, Tandoori Roti/ Naan, Ice-cream, Papad, Salad etc.	Per person	371.00
1.26	Lunch or Dinner-during training / journey in good hotel/restaurant Menu –Roti , Dal, Seasonal veg. (2), Raita, Pulav, Sweet Dish/ Ice-cream, Papad, Salad, Achar etc.	Per person	260.00

यह आदेश श्रीमान मुख्य अभियंता एवं महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

1. दरें सभी प्रकार की कर सहित है।
2. बिलो के भुगतान से पूर्व निविदादाता को अपने पेन नम्बर एवं जी. एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से संस्थान को सूचित करने होंगे।
3. स्त्रोत में से आयकर एवं अन्य करों की कटौतियाँ नियमानुसार की जावेगी।

अतः आपसे निवेदन है कि इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 7 दिवस में 2375/- रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर के साथ इस कार्यालय में उपरिथत होकर नियमानुसार अनुबन्ध करें।

यह कार्य आदेश आपकी निविदा दिनांक 14.06.2019 एवं नेगोशियेशन दि. 24.06.2019 को दी गई दर मय विभागीय शर्तों के इस अनुबन्ध के भाग होंगे।

संलग्न-शर्तें

50-  
उपनिदेशक एवं तक. सहा

क्रमांक /आईएमटीआई/लेखा-1/2019-20 / 1101-1106 दिनांक-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ रूवें आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक (प्रशिक्षण)
2. उप निदेशक (सम्पदा)
3. केशियर /बिल लिपिक

500  
604  
उपनिदेशक एवं तक.सहा.

## शर्त :-

1. निविदाएं शर्त सहित होनी चाहिए ।
2. धरोहर राशि डी0डी0 द्वारा ही स्वीकार की जावेगी। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदादाता के पास पूर्व में उपरोक्त प्रकार के कार्य का अनुभव होना चाहिए।
4. सम्स्त प्राप्त निविदाएं पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, महानिदेशक, आई.एम.टी.आई. कोटा को प्राप्त है।
5. निविदादाता के पास पर्यटन विभाग का पंजीकरण होना चाहिए।
6. प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा।
7. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
8. उपरोक्त दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।
9. उपरोक्त दरें सभी करों सहित होगी एवं नियमानुसार करों की कटौती की जावेगी।
10. अनुभवी व्यक्तियों को ही कार्य पर लगाया जावेगा।
11. कार्य सम्पादन के दौरान ठेकेदार अथवा प्रतिनिधि का उपस्थित रहना आवश्यक है, अन्यथा प्रतिदिन 100/- रु. के अनुसार पेनल्टी मानते हुए बिल में से कटौती कर ली जावेगी।
12. कार्य बंतायी गयी अवधि के दौरान ही सम्पादित किया जाना आवश्यक है। कार्य सम्पादन के दौरान श्रमिकों को किसी प्रकार की हानि / जोखिम की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
13. कार्य प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करना होगा अन्यथा बिल से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
14. खाने की वजह से बीमार होने पर संविदादाता की जिम्मेदारी होगी ।
15. निविदा दाता की जी-शिड्यूल में अंकित ईकाई के अनुसार दरें देनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

उपनिदेशक एवं तक.सहायक